नीलामी समिति, जनपद न्यायालय, देवरिया।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 5820/एडमिन (बी–1) सेक्सन, इलाहाबाद दिनांकित अक्टूबर 18, 2025 एवं माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के सम्मानित आदेश दिनांक –20.11.2025 के अनुपालन मे पुनः न्यायालय परिसर मे उत्तर तरफ स्थित नव निर्मित पोख्ता कैन्टीन की नीलामी वित्तीय वर्ष 2025–2026 हेतु दिनांक 27.11.2025 को अपराह्न 04.30 बजे दस कक्षीय न्यायालय भवन के केन्द्रीय सभागार कक्ष में नीलामी समिति की देखरेख मे नीलामी सम्पन्न होगी।

वित्तीय वर्ष 2025–2026 मे नव निर्मित पोख्ता कैन्टीन की नीलामी कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, देवरिया द्वारा प्रेषित मुल्यांकन आख्या दिनांकित 20.12.2024 जिसे माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 5820/एडमिन (बी–1) सेक्सन, इलाहाबाद दिनांकित अक्टूबर 18, 2025 के द्वारा नीलामी अनुमति प्राप्त हो चुकी है, को आधार मानकर मु0 25,000/–रु0 (पच्चीस हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह की दर से माह दिसम्बर 2025 से लगायत माह मार्च 2026 तक कुल 04 माह का मु0 1,00,000.00/–रु0 (एक लाख रुपये मात्र) से नीलामी प्रारम्भ की जाएगी, । इच्छुक व्यक्ति निम्न शर्तों के अधीन नीलामी की बोली मे भाग ले सकते है ।

नीलामी की शर्तेः–

1– प्रत्येक बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी मे भाग लेने/बोली बोलने से पूर्व नव निर्मित पोख्ता कैन्टीन की नीलामी हेतु मु0 1,00,000.00/–रु0 (एक लाख रुपये मात्र) की 10 प्रतिशत धनराशि मु0 10,000.00/–रु0 (दस हजार रुपये मात्र) नकद धनराशि बतौर जमानत के रुप मे कार्यालय नजारत जजी, देवरिया मे जमा करना होगा। बिना जमानत की धनराशि जमा किये कोई भी व्यक्ति नीलामी मे भाग नही ले सकता है। जमानत की जमा धनराशि नीलामी की समाप्ति व बोली स्वीकृत न होने की दशा मे संबंधित व्यक्ति/बोलीकर्ता को वापस कर दिया जाएगा ।

2– नव निर्मित पोख्ता कैन्टी की नीलामी मे सम्मिलित होने वाले व्यक्ति/ठेकेदार को हैसियत प्रमाण–पत्र एवं आपराधिक इतिहास से संबंधित शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3– कोई भी व्यक्ति/बोलीकर्ता किसी दूसरे व्यक्ति/बोलीकर्ता के लिए तब तक बोली नही बोल सकता, जब तक की नीलामी में अनुपस्थित व्यक्ति/बोलीकर्ता का लिखित प्राधिकार पत्र उसके पास न हो ।

4– उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा नीलामी की 20 प्रतिशत धनराशि नीलामी समाप्त होने के तुरन्त बाद अग्रिम धनराशि के रुप मे तथा शेष धनराशि एक सप्ताह के अन्दर नकद नजारत अनुभाग जजी देवरिया मे जमा करना होगा । जमा न करने की दशा में नीलामी स्वतः समाप्त हो जाएगी और जमानत की धनराशि जब्त कर ली जाएगी ।

5– प्रत्येक उच्चतम बोली बोलने वाले बोलीकर्ता को अपने निवास के संबंध मे सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र अथवा आधार कार्ड की स्व–प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

6– जिस व्यक्ति का किसी वित्तीय वर्ष की नीलामी की धनराशि बकाया होगी वह व्यक्ति वर्तमान नीलामी मे भाग लेने का हकदार नही होगा ।

7– नीलामी मे भाग लेने/बोली बोलने वाले व्यक्ति दिनांक 27.11.2025 को

कार्यालय नजारत जजी, देवरिया मे पूर्वान्ह 12.00 बजे तक समस्त प्रपत्रो के साथ जमानत की धनराशि जमा किया जाना सुनिश्चित करे।

8– नीलामी समिति जजी देवरिया को यह भी अधिकार होगा कि किसी भी बोली को बिना कारण बताए अस्वीकार कर दें।

9– माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदन के पश्चात ही नीलामी की बोली अंतिम मानी जायेगी ।

सदस्य,	सदस्य,	अध्यक्ष
20.11.25	20/11/25	20/11/25
(विवेक कुमार सिंह–II),	(हरीराम),	(रवि यादव),
नीलामी समिति,	नीलामी समिति,	नीलामी समिति,
जजी,देवरिया ।	जजी,देवरिया।	जजी,देवरिया ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित किया जाय :–

1– सिस्टम ऑफिसर केन्द्रीय कम्प्यूटर कक्ष, देवरिया को जनपद न्यायालय के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

2– जनपद न्यायालय देवरिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।

3– कलेक्ट्रेट देवरिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।

4– जिला परिषद देवरिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।

5– अन्य सार्वजनिक स्थलो पर चस्पा हेतु ।

6– जिला सूचना अधिकारी को उक्त नीलामी की विज्ञप्ति समाचार पत्रों मे निःशुल्क प्रकाशित कर कार्यालय नजारत जजी, देवरिया को प्रेषित किये जाने हेतु।

सदस्य,	सदस्य,	अध्यक्ष,
20.11.25	20/11/25	20/11/25
(विवेक कुमार सिंह–II),	(हरीराम),	(रवि यादव),
नीलामी समिति,	नीलामी समिति,	नीलामी समिति,
जजी,देवरिया ।	जजी,देवरिया।	जजी,देवरिया